बेणेश्वर धाम टापू बना, आसपुर में 8 इंच, डूंगरपुर में साढ़े चार इंच वर्षा

डूंगरपुर जिले के सभी नदी, तालाब और बाँध ओवर फ्लो हुए

डूंगरपुर, 18 सितम्बर। लम्बे अर्से के बाद, क्षेत्र में गत मध्यरात्रि से बारिश का दौर शुरु हुआ और भोर होते- होते तो बारिश ने तूफानी रुप धारण कर लिया। शहर की सड़कों पर पानी भर गया, कई दुकानों में भी पानी घुस गया। बारिश इतनी तेज थी कि जिले भर के नदी तालाब व बांध अपनी भराव क्षमता को पार कर छलक गये। साथ ही, शहर के पेयजल का प्रमुख स्त्रोत डिमिया बांध भी छलक गया। मारगिया बांध भी ओवरफ्लो हो गया और बहुत से लोग यह नज़ारा देखने वहां पहुंचे।

मारगिया बांध पर डेढ इंच की चादर चल रही है। जिले के दूसरे छोटे बड़े बांधों व तालाबों में भी पानी की आवक बढ़ी है। शुक्रवार सुबह के बाद भी हल्की और रिमझिम बरसात का दौर चल रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। गैंजी- सीएचसी के सामने रपट पर भी पानी बह रहा है। मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को डूंगरपुर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

- डूंगरपुर शहर की दुकानों में पानी घुसा। आसपुर खेड़ा के धमेला बाँध में तीन फीट तथा पूँजपुर के पुजेला बाँध में एक फीट की चादर चली।

डूंगरपुर में गुरुवार आधी रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। बारिश इतनी तेज थी कि जिले के कई नदी, तालाब व बांध ओवरफ्लो हो गये।

आसपुर क्षेत्र में 6 घंटे में सबसे ज्यादा 8 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई। आसपुर और सोमकमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8.8 इंच बरसात हुई है। वहीं गणेशपुर में 5 इंच, डूंगरपुर शहर में सवा 4 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अन्य जगहों पर भी भारी बारिश हुई।

आसपुर खेड़ा में घमेला तालाब की तीन फिट चादर चली, सड़क मार्ग अवरूद्ध हो गया तथा पूंजपुर का पुंजेला बांध छलक गया और उस पर एक फीट चादर चली। सोम कमला आंबा बांध में 134 क्यूसेक पानी की आवक से कई तालाब ओवरफ्लो हुए।

आसपुर में गुरुवार रात करीब 3 बजे से मूसलाधार बारिश जारी रहने से बेणेश्वर धाम टापू बन चुका है। चारो तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है।

भाजपा व चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी दलों को कमजोर कर रहे हैं- राहुल

नई दिल्ली, 18 सितंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर विपक्षी दलों को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल ममता बनर्जी की नहीं बल्कि, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल और मतदाता की है।

- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने टीएमसी के नाम व चुनाव चिन्ह पर रोक के आदेश की आलोचना की।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहले शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार एक ही पैटर्न दोहराया जाता है, जिसमें पहले पार्टी को तोड़ा जाता है और फिर उसका चुनाव चिह्न छीन लिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, लेकिन वह उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को बदलना चाहती हैं।

ममता को ''फुटबॉल खिलाड़ी'' और बागी गुट को ''लिफाफा'' चुनाव चिन्ह मिला

चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस और बागी गुट को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितंबर। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को 6 अक्टूबर को होने वाले बंगाल उपचुनावों में नई पहचान के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

- बागी गुट, जिसका नेतृत्व अरूप रॉय कर रहे हैं, को ''डैमोक्रैटिक तृणमूल कांग्रेस'' नाम मिला है, वहीं ममता बनर्जी वाले गुट को ''ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस'' नाम मिला है।
- चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को प.बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा में पृथक-पृथक दलों के रूप में मान्यता दे दी है।
- प.बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों में दोनों गुट नए राजनैतिक नाम व नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेंगे।

अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को ''डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस'' नाम और ''लिफाफा'' चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ''ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस'' नाम और ''फुटबॉल खिलाड़ी'' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा कि दोनों गुटों को बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीन राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाएगा।

यह फैसला चुनाव आयोग के गुरुवार के उस अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसके तहत पार्टी के नियंत्रण को लेकर चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच, ''ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस'' नाम और ''फूल और घास'' चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी गई थी।

चुनाव आयोग ने कहा कि आगामी उपचुनावों, जिनमें 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर के उपचुनाव भी शामिल हैं, में किसी भी गुट को पार्टी के मूल नाम या चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

नंदीग्राम उपचुनाव की जरूरत तब पड़ी, जब मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने यह सीट छोड़ दी और भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया। इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने भवानीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था।

रेजीनगर सीट ''आम जनता उन्नयन पार्टी'' (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। उन्होंने नोवदा सीट से भी जीत हासिल की थी।

नए आदेश में, इन चुनावों में दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा, ''रेजीनगर, नंदीग्राम और नागांव में दोनों गुटों द्वारा अधिकृत उम्मीदवारों को उनके, अपने नए आवंटित पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह के तहत माना जाएगा, बशर्ते कि वे जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 36 के तहत जरूरी कानूनी शर्तें पूरी करते हों। यह आवंटन अस्थायी है और तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक चुनाव आयोग अपना अंतिम आदेश जारी नहीं कर देता।''

यह विवाद पार्टी के संगठनात्मक अधिकार, राष्ट्रीय कार्यसमिति की वैधता और पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर दोनों पक्षों के दावों पर केन्द्रित है।

अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट ने ऋतब्रत बनर्जी से जुड़े समूह के समर्थन के साथ, मौजूदा राष्ट्रीय कार्यसमिति के बने रहने पर सवाल उठाया है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का कार्यकाल 11 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था।

ममता बनर्जी के गुट ने इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी है। उसका कहना है कि प्रतिद्वंद्वी गुट के दावे और पदाधिकारियों का चुनाव पार्टी के संविधान के खिलाफ है। सांसद डेरेक ओ'ब्रायन सहित, इस गुट की ओर से कहा गया है कि पार्टी संविधान में किए गए संशोधनों के जरिए, राष्ट्रीय कार्यसमिति और अन्य संगठनात्मक निकायों का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया था।

प्रतिद्वंदी गुट ने इन संशोधनों की वैधता पर भी सवाल उठाया है।

दोनों गुटों को तीन-तीन पसंदीदा नाम, और ऐसे तीन चुनाव चिन्हों की सूची देने का निर्देश दिया गया था, जो किसी अन्य दल को आवंटित नहीं हैं।

प्र.मंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कई घंटों तक चलने वाले कई चिंतन शिविर आयोजित किए थे। इनमें व्यक्तिगत कार्यक्षमता, योजनाओं को ध्यानपूर्वक लागू करने, मंत्रालयों के कामकाज, हितधारकों के साथ संपर्क, पार्टी के साथ समन्वय, प्रभावी प्रचार- प्रसार और संसदीय कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी।

इन बैठकों के बाद, 77 मंत्रियों को आठ समूहों में बांटा गया था। इन समूहों को तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल, पेशेवर भर्ती के लिए पूल तैयार करने, जिलों की प्रोफाइल तैयार करने, सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए पोर्टल विकसित करने और शासन में व्यावहारिक सुधार जैसे कार्य सौंपे गए थे। उन सत्रों से लगातार समीक्षा और काम पूरा करने की संस्कृति को बढ़ावा मिला था।

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं

उन्होंने कहा, उम्मीदारों से चुनाव चिन्ह जमा कराने के बाद आयोग का फैसला असंवैधानिक है

कोलकाता, 18 सितंबर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ममता बनर्जी ने आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और चिह्न पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को आयोग ने छह अक्तूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के गुट को फुटबॉल खिलाड़ी का चुनाव चिह्न आवंटित किया। इसके बाद ममता ने इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का कदम उठाया।

- ममता बनर्जी ने कहा कि वो राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगी तथा लोकतांत्रिक व कानूनी तरीके से लड़ेंगी।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक, गैरकानूनी, अलोकतांत्रिक और पूरी तरह पक्षपातपूर्ण बताया है। उन्होंने आयोग पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप भी लगाया। ममता का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, नामांकन दाखिल हो चुके थे और उम्मीदवार अपने चुनाव चिह्न जमा कर चुके थे। ऐसे समय में पार्टी के नाम और मूल चुनाव चिह्न को रोकने का फैसला क्यों लिया गया? अब उन्होंने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

ममता बनर्जी ने कहा कि वह पीछे नहीं हटेंगी और राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। उन्होंने कहा, "हम हार नहीं मानेंगे। हम राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हम यह लड़ाई लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से लड़ेंगे।" ममता ने तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने लंबे राजनीतिक जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ सकतीं, क्योंकि यह वह पार्टी है जिसे उन्होंने 29 साल के संघर्ष, त्याग और राजनीतिक लड़ाइयों के बाद बनाया है।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लहजे में पूछा कि 16 सितंबर को घटना हुई और न आपने एफआईआर दर्ज की और न किसी की गिरफ्तारी की। कोर्ट ने कहा था कि "एनफ-इज-एनफ"। हम इस तरह के आपराधिक बर्ताव को सहन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं हर साल के छात्र संघ के चुनाव में होती हैं।

जोधपुर हाईकोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ जांच चल रही थी और इस फर्म के मुख्य निदेशक विरेन्द्र कुमार गर्ग को हिरासत में भी लिया गया था।

'हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाईकोर्ट ने यथास्थिति आदेश को वापस लेते हुए प्रकरण को ड्यू कोर्स की श्रेणी में रख दिया था।

डॉक्टर की पर्ची की दवा अब सीसीटीवी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिकित्सक द्वारा लिखी गई किसी भी दवा की बिक्री, थोक कारोबार के माध्यम से होने वाली बिक्री को छोड़कर, लाइसेंस प्राप्त परिसर में लगाए गए और वहां संचालित सीसीटीवी निगरानी तंत्र के तहत करनी होगी। सीसीटीवी व्यवस्था इस तरह संचालित रखनी होगी कि दवा की बिक्री की पुष्टि की जा सके। इसके बाद रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

व्यावहारिक रूप से, इस प्रस्ताव से फार्मेसियों और अन्य लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानों पर डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं दिए जाने का वीडियो रिकॉर्ड तैयार हो सकता है।

इससे नियामकों को यह जांचने में अधिक मदद मिल सकती है कि डॉक्टर की पर्ची वाली दवा वैध पर्ची के आधार पर दी गई थी या नहीं। साथ ही, नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच में भी मदद मिल सकती है। थोक दवा विक्रेताओं को प्रस्तावित सीसीटीवी व्यवस्था से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं की बिना अनुमति बिक्री पर रोक लगाना है। इसमें ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें वैध पर्ची के बिना नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य दवा देने के समय जवाबदेही बढ़ाना है। नियामकीय नियमों के बावजूद डॉक्टर की पर्ची वाली कुछ दवाएं कभी-कभी सीधे दुकानों से खरीदी जाती हैं। इससे दवाओं के गलत इस्तेमाल, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने और ऐसे लोगों को दवा दिए जाने का खतरा पैदा हो जाता है, जिनके लिए वह उपयुक्त नहीं हो सकती। यह मुद्दा बच्चों के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सरकारी सूत्रों ने ऐसे मामलों की ओर इशारा किया है, जहां वयस्कों के लिए बनाई गई खांसी की दवाएं और अन्य दवाएं बच्चों को दे दी जाती हैं, जबकि उनकी दवा की संरचना, खुराक और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें अलग होती हैं। प्रस्तावित सीसीटीवी व्यवस्था से नियामकों को लेन-देन की पुष्टि करने और लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानों पर नियमों के संभावित उल्लंघन की पहचान करने का एक अतिरिक्त तरीका मिल सकता है।

ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गिरफ्तार

केलकाता, 18 सितंबर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में एक और बड़ा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हत्या के एक पुराने मामले में की गई है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को ही ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने प्रेसवार्ता कर नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन का एलान किया। इस बड़ी राजनीतिक घोषणा के कुछ ही समय बाद पुलिस ने मिलन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार एक पुराने हत्या के मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर शुक्रवार को उन्हें हिरासत में लिया गया।

बता दें कि शनिवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले, मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में विपक्षी उम्मीदवार की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मराठी फिल्म ''गोंधन'' ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी

फिल्म फेडरैशन ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को ऑस्कर 2027 में भारत की अधिकृत एंट्री के लिये चुना

नई दिल्ली, 18 सितंबर। ऑस्कर 2027 में भारत की तरफ से कौन-सी फिल्म दावेदारी पेश करेगी, इसका फैसला हो चुका है। मराठी सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मराठी फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना है। फिल्म का चयन होने के बाद अब यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अपनी कहानी और विषय को लेकर चर्चा में रही इस फिल्म से अब देशभर के सिनेमा प्रेमियों की उम्मीदें जुड़ गई हैं। ऑस्कर की रेस में भारत की ओर से 'गोंधल' का पहुंचना क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ ती ताकत और उसकी कहानियों की व्यापक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है।अब यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

- ''गोंधन'' बेस्ट इन्टरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। देश की विभिन्न भाषाओं की 33 फिल्मों ने ऑस्कर में जाने के लिये दावेदारी की थी।

खास बात यह है कि इस साल देश की अलग-अलग भाषाओं में बनी 33 फिल्मों ने ऑस्कर के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। मराठी फिल्म 'गोंधल' की कहानी ग्रामीण महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में होने वाले पारंपरिक गोंधल अनुष्ठान के बीच आकार लेती है। फिल्म की मुख्य किरदार सुमन एक ऐसे विवाह में फंस जाती है, जिसमें उसे आर्थिक रूप से संपन्न आनंद से शादी करनी पड़ती है, जबकि उसका दिल गोंधली कलाकार साहेबा के लिए धड़कता है। इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए सुमन एक खतरनाक योजना बनाती है। वह आनंद के चचेरे भाई सरजेराव की उसके प्रति दीवानगी का फायदा उठाती है और उसे ऐसे अपराध की ओर धकेलती है, जिसे वह खुद अंजाम नहीं दे सकती। फिल्म में गोंधल की रातभर चलने वाली परंपरा, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान कहानी को आगे बढ़ ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

नेपाल ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2013 के तहत मंदिर क्षेत्र को संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषित होने के बाद अब मंदिर के आसपास भवन निर्माण समेत अन्य गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड लागू होंगे।

नौसेना के जहाजों की टक्कर पर पाकिस्तान का आरोप बेबुनियाद

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान नौसेना के जहाज ने गैर पेशेवर तरीके से व्यवहार किया था

नई दिल्ली, 18 सितंबर। भारत ने अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज के बीच हुई टक्कर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, भारत ने पाकिस्तानी सैन्य इकाइयों से भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने की चेतावनी भी दी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान की ओर से आए जवाब पर आज अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जवाब हमने देखा है। पड़ोसी देश की टालमटोल करने की आदत रही है और हमें इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। हम उसकी ओर से लगाए आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। पाकिस्तान का आरोप था कि यह टक्कर पाकिस्तानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय जहाज की उकसावे वाली और अस्वीकार्य कार्रवाई की वजह से हुई।

- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी जहाज खतरनाक तरीके से ओवर ट्रेक करने की पैंतरेबाजी कर रहा था, यह दोनों देशों के सैन्य समझौतों के विरुद्ध है।

प्रवक्ता जायसवाल ने एक बार फिर दोहराया कि आईएनएस कोलकाता पश्चिम अरब सागर में एक नियमित तैनाती पर था। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस हुनैन ने समुद्र में अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर तरीके से बर्ताव किया। इसके परिणामस्वरुप टक्कर हुई। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पूरे घटनाक्रम में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समंदर में है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जहाज खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की पैंतरेबाज़ी कर रहा था। यह भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य समझौतों के विरुद्ध है। इन समझौतों में यह स्पष्ट है कि नौसेना इकाइयों को एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील के दायरे में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा, पाकिस्तानी जहाज ने समुद्र में टक्कर रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन किया है।

उल्लेखनीय है कि अरब सागर में 15 सितंबर को आईएनएस कोलकाता और पीएनएस हुनैन के बीच हुई टक्कर पर भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत को तलब कर इस मामले पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था और पाकिस्तानी जहाज के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसको लेकर पाकिस्तान का कहना था कि यह टक्कर पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय जहाज की उकसावे वाली और अस्वीकार्य कार्रवाई की वजह से हुई।

भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से भी शुक्रवार को नाम जल्द घोषित किए जाने के संकेत दिए गए थे। हालांकि शुक्रवार देर रात तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई।

कोठारी के अलावा, पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट, विमल अग्रवाल सहित, कुछ अन्य नाम भी दावेदारों की चर्चा में हैं। ऐसे में अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संगठन की सहमति से होने की संभावना है।

मेयर के साथ डिप्टी मेयर पद को लेकर भी भाजपा संगठन सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक, प्रतिभा शर्मा का नाम इस पद के लिए प्रमुखता से सामने आया है।

अब शनिवार को मेयर पद के नामांकन की अंतिम तारीख होने के कारण भाजपा को समय रहते अपने प्रत्याशी का नाम स्पष्ट घोषित करना होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शनिवार सुबह तक दोनों पदों के प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न होगी।

एआई के बेरोकटोक डवलपमैंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनका यह हस्तक्षेप एआई पर चल रही बहस में आए एक महत्वपूर्ण बदलाव के बीच हुआ है। ''एंथ्रोपिक'' के सीईओ डारियो अमोडेई ने हाल में कहा है कि इंडस्ट्री को डवलपमैंट की रफ्तार धीमी करनी पड़ सकती है, ताकि सुरक्षा सिस्टम को उसके बराबर आने का समय मिल सके। ''ओपन एआई'' के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी माना है कि एआई की प्रगति गलत दिशा में जा सकती है और रफ्तार धीमी करने से जो नुकसान होगा, वह सही कदम हो सकता है। ''गूगल डीपमाइंड'' के चेयरमैन डेमिस हसाबिस ने भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत से सहमति जताई है।

अब चिंता केवल इस सवाल से आगे बढ़ रही है कि क्या एआई कुछ खास नौकरियों की जगह ले लेगा। एडवांस्ड सिस्टम, ज्यादा आज़ादी से काम करने, टूल्स का इस्तेमाल करने, कामों में तालमेल बिठाने और इंटरनेट के साथ इन्टरैक्ट में सक्षम हो रहे हैं। एआई कंपनियों की ओर से हाल में मॉडल के अप्रत्याशित या चिंताजनक व्यवहार के बारे में दी गई जानकारियों ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है कि क्या डैवलपर्स भरोसे के साथ यह अनुमान लगा सकते हैं कि ज्यादा सक्षम सिस्टम क्या करेंगे।

इसलिए अब ''रफ्तार बनाम सुरक्षा'' की दुविधा बढ़ती जा रही है। कंपनियों और देशों के पास और भी अधिक शक्तिशाली एआई विकसित करने के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं। स्वेच्छा से रफ्तार धीमी करने का मतलब हो सकता है कि वे टैक्नॉलजी या जिओपॉलिटिक्स के मामले में अपने प्रतिस्पर्धी से पीछे रह जाएं। लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना आगे बढ़ने से यह खतरा पैदा होता है कि सुरक्षा व्यवस्था एआई की क्षमताओं से हमेशा एक कदम पीछे रह ही जाएगी।

इसलिए चार्ल्स की बात उस बहस में एक व्यापक नैतिक और सामाजिक पहलू जोड़ती है, जो अब तक मुख्य रूप से तकनीक और भू-राजनीति तक सीमित थी। उनका संदेश मूल रूप से यह है कि एआई का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह कितना शक्तिशाली, लाभदायक या कुशल है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इंसान इस टैक्नॉलजी को नियंत्रित करने और उसे सामाजिक रुप से लाभकारी दिशा देने में सक्षम बने रहेंगे।

यह मुद्दा खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आज के जनरेटिव एआई से आगे बढ़कर अधिक स्वायत्त ''एजेंटिक'' सिस्टम और संभवत: आर्टिफिशल जनरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। अब बहस केवल एक नए उद्योग को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रह गई है। अब इस सवाल पर बहस बढ़ती जा रही है कि इंसान मशीनों को कितनी स्वायत्तता दें और ऐसी स्वायत्तता देने से पहले कौन-कौन से सुरक्षा उपाय मौजूद होने चाहिए।

भारत में जन्मी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खास और महत्वपूर्ण पल बताते हुए चीता संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। केन्द्रीय मंत्री ने इस मौके को चार साल, चार नए जीवन बताया। उन्होंने कहा कि चार नए शावकों का जन्म भारत में चीता संरक्षण की बढ़ ती सफलता और इसके लिए किए जा रहे दृढ़ संकल्प का अच्छा प्रतीक है। शावकों के जन्म की जानकारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने भी दी है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908